

मौहम्मद नेजामउद्दीन
810 स्वतः सफुर भिमा

पञ्चांग १२-अश्व सं० १९९२।

ग्राम-आरा

अंशुल - २०२२।
(यहाँ पंजीकृत हुआ, १९९१ का दिनांक)

जिला-पन्ना विवरण पत्र क्र० 18/2003-04

यह का नमूना-निर्दिष्ट पत्र

कार्य की एक संख्या
कार्य की एक संख्या
कार्य की एक संख्या

24.9.03 आवेदक भौ नेजामउद्दीन 810 सफुर
भिमा ग्राम आरा ने आवेदन दिया
है कि ग्राम आरा धाना चारा धाना-10
272 के अन्वेषित खाना न० 55/अ (लाट
355 स्क्वा 0.48 एकड़ भूमि खरीद कर
के पश्चात दखलखवा में है। जिसका
लगान रसीद 91-92 तक निजरी है।
आवेदक का आवेदन पत्र सम्बन्धित
हल्का कमिश्नरी से जांच के बाद प्रतिक्रिया
प्राप्त। जो अभिलेख से संग्रहीत है।
आवेदक को नोटिस निजरी कर मूल
कागजात की मांग करें, अभिलेख
दिनांक 15/10-2003 को उपस्थापित
करें।

अंशुल आवेदक
पन्ना

15/10/2003 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित
आवेदक द्वारा मूल केवाला दिखाना जमा
दामा प्रति संलग्न। हल्का कमिश्नरी का
जांच प्रतिक्रिया के अवलोकन से ज्ञात
होता है कि आवेदक के नाम पंजी II
के 262 सं० 133 पर जमाबन्दी वर्ष 88-89
से सम्म होकर वर्ष 91-92 तक लगातार
सरकारी रसीद निजरी है।

विचार परदेस होर, पन्ना। (जो की रसीद है)

अह भूमि ध्वज जमावन्ती रीमर
 जी जैन्दा मंग भोमरा (अमर) के पुत्र मैदु
 गंभु नै लोन्वान गंभु लै कावेदक नै
 निनंदिन विजय ५१ रू २६३ ५५३८ दि०
 १३.११.८५ के द्वारा कम किया है। एवं
 कम की विधि लै काज तक अचानक
 लगातार लगभग १५ वर्ष लै शानि
 रूनी देखल नवजा है। इस प्रकार
 इस जमावन्ती को रचागिर रखे जाने
 का कोई औचित्य प्रतीत नही होता
 है, एवं इसे सरकारी राजस्व को
 कम हो रही है।

अतः दलका समीचीन
 की जांच प्रतिकेचन निनंदिन केबला
 एवं सरकारी रसीद तथा सिमिकाद
 एवं आनिदली देखल को देखते हुए
 रसीद प्रकिस मित्री करने का
 आदेश दिया जा रहा है। अ. ११३
 की सन्तोई लागू किया जा रहा है। अनुसार
 आदेश मित्री करे।

लेखापत्र नो संशोधित

अंमल कादितासी
 — २५१

अंमल कादितासी
 — २५१